बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्याः– पी0पी0एम0–148 / 2013– 3831 /कृ0, पटना दिनांक 12/11/2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2018–19 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 15.00 (पन्द्रह) लाख रूपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2018–19 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 15.00 (पन्द्रह) लाख रूपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह स्वीकृति निदेशक अनुसंधान, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–592 / DR दिनांक 30.08.2018 के क्रम में प्रदान की जाती है। योजना के अधीन 33 केंन्द्रों पर 8 फसलों का विभिन्न प्रभेदों का परीक्षण कार्यक्रम डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय को उक्त कार्यक्रम हेतु 15.00 (पन्द्रह) लाख रू० स्वीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव / कार्यक्रम अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

राज्य की परिस्थितियों में फसल प्रभेदों के अनुकूलता की जांच तथा सत्यापन की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुये प्रभेदों को राज्य की परिस्थितियों में परीक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था हेतु यह योजना स्वीकृत की जाती है। यह अनुदान आवर्तक है। उक्त योजना अन्तर्गत सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के प्रभेद परीक्षण में शामिल किये जायेंगे।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय से संबंधित बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है, (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277–शिक्षा, माँग संख्या–01 उप शीर्ष 0101– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01–2415012770101, विषय शीर्ष 0101. 31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	174.30	15.00

4. निकासी के लिए स्वीकृत राशि 15.00 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत संबंधित महाविद्यालय / कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म–42 पर की जायेगी, जिसके साथ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि० दिनांक 31.05.17 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव की स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0–148/2013 के पृ0सं0–90/टि० पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–148/2013 के पृ0सं0– 91/टि० पर दिनांक– 03.11.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8.11.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148/2013– 3881 /कृ0, पटना दिनांक 12/11/ 2018

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148/2013– 3881 /कृ0, पटना दिनांक 12/11/2018

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148/2013– 3881 /कृ0, पटना दिनांक 12/11/ 2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148/2013– 3881 /कृ0, पटना दिनांक 12/11/2018

प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/कृषि मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–148/2013– 3881 /कृ0, पटना दिनांक 12/11/ 2018

प्रतिलिपिः– कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा/ नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा/निदेशक अनुसंधान, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

377

Directorate of Research
Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, Samastipur-848 125 (Bihar)
अनुसंधान निदेशालय
डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर–848125 (बिहार)

Dr. Mithilesh Kumar
Director Research
डॉ. मिथिलेश कुमार
निदेशक अनुसंधान

No. 592 /DR
Date 30-8-2018

सेवा में

श्री अनिल कुमार झा
उप–निदेशक (सस्य)–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, कृषि शिक्षा कोषांग
कृषि विभाग, बिहार सरकार
पटना ।

विषयः समन्वित प्रभेद परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2018–19 में राशि स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में समन्वित प्रभेद परीक्षण समिति द्वारा छः (6) फसलो के परीक्षण हेतु पत्रांक 320 दिनांक 30 जून 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था । इस संबंध में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की एक संयुक्त समिति गठित किया गया था जिसकी कार्यवाही प्रतिवेदन आपके सूचनार्थ संलग्न की जा रही है । इस संबंध में यह निर्णय लिय गया था कि धान, गेहूँ, मूँग, चना, मसूर, अरहर, सरसो, तिसी कुल आठ फसलों पर समन्वित प्रभेद परीक्षण राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर किया जाय। डॉ0 राजेन्द्र पसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन कुल 33 केन्द्रों पर इन 8 फसलों के विभिन्न प्रभेदों के परीक्षण किया जाना है । उस समिति में यह भी निश्चित किया गया था कि परीक्षण की अवधि कम से कम तीन लगातार वर्षो तक होनी चाहिए और इस संबंध में 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रति केन्द्र/प्रति फसल/प्रति मौसम बुआई की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए राज्य सरकार से निधि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जाय । अतः इस मद् में वर्ष 2018–19 के लिए कुल रूपये 15.00 लाख की राशि विमुक्त करने की कृपा करेंगे । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा एंक अधिकारी को समन्वित प्रभेद परीक्षण की मॉनिटरिंग हेतु नामित किया जाय।

विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है । 2018–19 में जो निधि विमुक्त की गयी थी उसका परीक्षण का कार्य चल रहा है एवं विस्तृत प्रतिवेदन बाद में भेजी जायेगी।

विश्वासभाजन,
[signature] 30/8/18
निदेशक अनुसंधान

575
04/09/2018

Tel. No.: 06274-240262(O)/240259(R); Cell: 9431834070; Fax No.: 06274-240255(VC Cell);
Email: drraupusa@gmail.com/ drraupusa@yahoo.com

376

Proceedings of the Review meeting on "Restructuring of State Coordinated Varietal Trials" under the Chairmanship of Honorable VC, BAU Sabour on 06/04/2018 at 10.30 AM in the Conference Hall of BAU Sabour

A meeting was held under the Chairmanship of Dr. A. K. Singh, Hon'ble VC, BAU SabouratVC conference Hall, BAU, Sabour on April 6th 2018 at 10:30 AM on the topic as mentioned above. Dr. P.K. Singh Director Research, BAU Sabour, Dr. M. Kumar, Director Research, DRPCAU, Pusa, and other scientist/officers were present in the meeting (**Annexure I**).

The following discussions were made and decisions were taken in the meeting:

1) The Director Research, BAU, Dr. P.K. Singh, in his welcome address to the chair and the respected members, briefed about the importance of the meeting and focused on the restructuring of State Coordinate Varietal Trials for its effective implementation by both the Agriculture Universities i.e. BAU, Sabour and DRPCAU, Pusa in the state of Bihar.
2) The Director Research, DRPCAU Pusa,Dr. M. Kumar, had informed that State Varietal trial was started in Rabi of 2013 and continued smoothly till 2015 for testing of Rice, Wheat, Maize, Chickpea, Rapeseed Mustard and Mung bean and thereafter became little slower due to certain reasons. Therefore, restructuring of these trials is needed in order to strengthen it for its smooth implementation in the state of Bihar.
3) Thereafter, Deputy DirectorResearch, BAU Sabour Dr. Sailabala Dei, informed the house Chairman that SVTs have been conducted by BAU Sabour in the year 2017-18 by utilizing some unspent balance of the previous years and report would be duly submitted to the Govt.
4) Then, as per the suggestions of the Director Research, BAU Sabour, Dr. P.K. Singh, agenda wise discussion were held and decisions were taken as under:
   - The selection of crops, testing centers, crop-leaders, crop-coordinators and their responsibilities were discussed and fixed (Table-1);
   - Accordingly it was also proposed to include the crops such as Rice, wheat, maize, chickpea, lentil, mungbean, pigeon pea, rapeseed & mustard and linseed;

M. Kumar 06/4/18

- The Crop Coordinators were assigned the duties of coordinating the conduction of trials at different centers of their respective Universities;
- The Crop Leaders were assigned to coordinate the Crop Coordinators and responsible for setting up of different criteria like trial formulation, genotype selection, data compilation, monitoring and final submission of reports to the Govt.
- It was also decided to have only one Crop Leader for each crop at state level,
- The sources of materials for nomination were decided to be as under
  - Released varieties of other institutes outside the state,
  - Promising entries developed in the university's own breeding programmes(after one year evaluation)
  - Promising entries from AICRP trials, MNCs, and other collaborative projects under the university,
- Afterwards, it was decided to have timely decoding of the samples after the crop season; (crop wise time line indicated in table-1)
- Duration of testing was decided to be of minimum 3 consecutive seasons/ years in the trials;
- **Budget requirement:** The budget requirement for the restructured SVTs was proposed to be Rs. 50000/- (Rs Fifty Thousands only) for per crop per season. Therefore, the total budget required for 98 testing centers was calculated to be Rs. 49.00 Lakhs (Rs Fourty Nine Lakhs only) (Rs. 50000/- x 98 testing centers) per year.
- It was also decided to request the state government for nominating a representativeof the state Govt. for coordinating SVTs of the state.
- Detail of Crops, Crop Leaders/ Coordinators, Testing Centers and Timeline for SVT were decided as given in the following table-1

M. Haq
6/4/18